कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
बिजनौर

पत्रांक 1661 /आर.एस.एल. (जि०) दिनांक 13/2/15

सेवा में,

रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल आफिसर
बिजनौर

विषय :– बिजनौर नूरपुर छजलैट मार्ग के किमी0 6 पर प्रस्तावित भवन निर्माण हेतु श्री नरेश वर्मा पुत्र श्री प्यारे लाल का प्रार्थना पत्र।

सन्दर्भ :– आपका पत्रांक 73/1 सी दि. 06.02.2015

महोदय ,

उपरोक्त सन्दर्भित प्रार्थना पत्र पर इस कार्यालय की बिन्दुवार आख्या निम्न है :–

1. मार्ग का यह भाग रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल एक्ट के अन्तर्गत नियन्त्रित क्षेत्र घोषित नही है।
2. मानचित्र सही है तथा प्रमाणित कर दिया गया है।
3. मार्ग के इस स्थान पर लो०नि०वि०, की भूमि सीमा मार्ग के मध्य से 60' (साठ फीट) प्रस्तावित निर्माण स्थल की ओर है।
4. यह क्षेत्र रूरल क्षेत्र है यहां पर प्रस्तावित निर्माण की दूरी मार्ग के मध्य से 75' (पचहत्तर फीट) एक ओर है।
5. इस मार्ग की स्थाई भूमि को चौड़ा करने का कोई प्रस्ताव नही है।
6. यह मार्ग राज्य मार्ग श्रेणी का है।
7. प्रस्तावित निर्माण स्थल पर कार्य प्रारम्भ नही हुआ है।
8. *भवन निर्माण से पूर्व आवेदक को पानी निकासी हेतु नियमानुसार नाली/नाले का निर्माण अपनी भूमि पर स्वयं के व्यय से कराना होगा। नाली के मार्ग की ओर की दीवार की टॉपलाईन लेपित किनारे से पटरी के ढाल के सापेक्ष कम से कम 6" नीचा रखना अनिवार्य होगा। अन्यथा निर्माण हेतु दी जा रही यह अनापत्ति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी।*

उपरोक्त प्रस्तावित निर्माण की संस्तुति मार्ग के मध्य से 75' (पचहत्तर फीट) की दूरी पर संलग्न नक्शे में अंकित प्रतिबन्धों के साथ की जाती है।

संलग्न :– नक्शा एक

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
बिजनौर

पत्रांक /आर.एस.एल. दिनांक

प्रतिलिपि सहायक अभियन्ता द्वितीय को यह सुनिश्चित करने हेतु कि आवेदक द्वारा भवन का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अपनी भूमि पर नाली/नाले का निर्माण कराया जाये।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
बिजनौर

कार्यालय रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल आफिसर, बिजनौर

अनुज्ञा पत्रांक : 26/318 / सेल्स लिपिक   दिनांक: 23 फरवरी, 2015

विषय :– बिजनौर–नूरपुर- छजलैट मार्ग के कि0मी0–6 पर भवन निर्माण हेतु अनापत्ति के संबंध में।

श्री नरेश वर्मा पुत्र श्री प्यारे लाल
नि0– 127, आवास विकास कालोनी,
तह0 व जिला– बिजनौर

उपरोक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में सूचित करना है कि बिजनौर–नूरपुर-छजलैट मार्ग के कि0मी0–6 पर मार्ग के मध्य से एक ओर 75 फिट की दूरी पर मा0न्यायालय अथवा शासन के किसी अग्रिम आदेश के अधीन रहते हुए निम्न प्रतिबन्धों के साथ प्रस्तावित निर्माण हेतु अनापत्ति प्रदान की जाती है :–

1– The opening of sullage towards the road shall not be permitted.
2– प्रस्तावित निर्माण अनुमोदित प्लान के अनुसार कराना होगा। (साइट प्लान संलग्न)
3– निर्माण के सामने सर्वप्रथम पक्की नाली का निर्माण स्वंय के खर्चे पर अपनी भूमि में कराना होगा।
4– प्रस्तावित निर्माण के आगे नाली/नाले पर आवागमन के लिए पुलिया निर्माण की आवश्यकता है/नहीं। यदि हां तो पुलिया का निर्माण मानक प्लान विभाग से स्वीकृति लेकर कराना होगा।
5– निर्माण कार्य छः माह के अन्दर कराना होगा।
6– भू–स्वामित्व के लिए किसी भी विवाद हेतु आप स्वंय ज़िम्मेदार होंगे।
7– पहुंच मार्ग/पुलिया निर्माण की दशा में मानक प्रारूप पर इस आशय का अनुबन्ध निष्पादित कराकर इसकी विभागीय स्वीकृति प्राप्त करनी होगी।
8– निर्माण का प्लंथ सड़क के प्लंथ से नीचा रखना होगा।
9– अनुमोदित प्लान के अनुसार निर्माण न कराने अथवा उक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की दशा में प्रदत्त यह अनुमति स्वतः ही निरस्त हो जायेगी।
10– विनियमित क्षेत्र के अन्तर्गत परिधि में होने की स्थिति में वि0क्षे0 से अनुमति पृथक से लेनी होगी।

रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल आफिसर,
कृते जिलाधिकारी, बिजनौर

पत्रांक व दिनांक : उपरोक्त।

प्रतिलिपि :– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बिजनौर को उनके पत्रांक–1661/आर.एस.एल.(प्रा0), दिनांक– 13.02.2015 के सन्दर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने हेतु प्रेषित।

रोड साईड लैण्ड कन्ट्रोल आफिसर,
कृते जिलाधिकारी, बिजनौर